

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

No. 457]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ ASADHA 13, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

सं.31/2016-के.उ.शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.660 (अ).—केन्द्र सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002, के नियम 20 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. 565 (अ) के अंतर्गत, दिनांक 04 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 04 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 17/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कालम (2) में, क्रम संख्या 2 में, खंड (ख) की मद (vii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(ग) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. संख्या 163(अ) के अंतर्गत दिनांक 17 मार्च, 2012 को प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17-12-2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, की सारणी के क्रम संख्या 65(क) में यथा संदर्भित, समुद्री जहाजों अथवा वैसल के प्रयोग में लाया जाने वाला बंकर ईंधन ”

[फा. सं. 83/1/2015-सीएक्स.3]

रोहन, अवर सचिव

[दिनांक 04 सितम्बर, 2004 की प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में दिनांक 04 सितम्बर, 2004 की सा.का.नि. संख्या 565 (अ)के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।]

**MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2016

No. 31 /2016- Central Excise (N.T.)

G.S.R.660 (E). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 20 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Government being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 17/2004-Central Excise (N.T.), dated the 4th September, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1) *vide* number G.S.R. 565(E) dated 4th September, 2004, namely:-

In the said notification, in the table, in column (2), in Sl. No. 2, after item (vii) of clause (b) and before *Explanation* the following clause shall be inserted, namely,-

“(c) bunker fuels for use in ships or vessels, as referred to in Sl. No. 65A of the table in the notification, of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E) dated 17th March, 2012.”.

[F. No. 83/1/2015-CX.3]

ROHAN, Under Secy.

[The principal notification No. 17/2004-CE (N.T.) dated the 4th September 2004, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th September, 2004 *vide* number G.S.R. 565(E), dated the 4th September, 2004]